लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

.....0 / 2021

तारीखरजू:– 16/2/2021

उनवान:– हरभान बनाम खिलोनी वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

	फर्द अहकाम	
21	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री दिलावर सिंह एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायल व गैरसायलान जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 15.03.2021 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 384/0.15, 388/0.14, 389/0.12, 424/582/0.03, 461/0.28, 462/0.22, कुल किता 06 कुल रकवा 0.94 है0 ग्राम फतेहपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तारीख पेशी 15.03.2021 तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वत: निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित / वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.03.2021 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	801-16 16-2-21
15.3.21	प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित। कथन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए मुकदमे को Not-Press में खारिज कर दिया जावे। आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अत: यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (दुर्गा प्रसाद मीणा) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली	ह० ... Not press 15/3/2021 Adv.